

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 291]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 8 जुलाई 2021—आषाढ 17, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2021

क्रमांक एफ ए 3-13-2021-1-पांच (51) – मध्यप्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) (एतश्मिन पश्चात् जिसे “उक्त अधिनियम” से संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं जो कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप शीर्षक, शीर्षक या अध्याय, जैसी भी स्थिति हो के अंतर्गत आती है, को उक्त अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत उस पर लगाए जाने वाले राज्य कर से उस सीमा तक छूट देती है जितने से की वह उक्त सारणी के कॉलम (4) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि से अधिक होती हो, यथा:-

सारणी

क्र.सं.	अध्याय, शीर्षक, उप शीर्षक या टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2804	मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन	2.5 %
2	30	टोसीलीजुमेब	शून्य
3	30	एम्फोटेरिसिन बी	शून्य
4	30	रेमडेसीवीर	2.5 %
5	30	हेपरिन (एंटी-कोआगुलंट)	2.5 %
6	3002 या 3822	कोविड-19 टेस्टिंग किट्स	2.5 %
7	3002 या 3822	इनफलोमेटरी डायग्नोस्टिक (मार्कर) किट्स, जैसे कि दृ आई एल 6, डी-डीमर, सीआरपी (सी-रिएक्टिव प्रोटीन), एलडीएच (लेक्टेट डी-हाइड्रोजीनेस), फेरीटीन, प्रो केलसीटोनीन (पीसीटी) और ब्लड गैस रिएजेंट्स.	2.5 %

(1)	(2)	(3)	(4)
8	3804 94	हैंड सेनेटाइजर	2.5 %
9	6506 99 00	हेलमेट्स, नॉन इनवेसिव वेंटिलेशन के साथ प्रयोग के लिए.	2.5 %
10	8417 या 8514	क्रिमेटरियम में प्रयोग के लिए गैस/ इलैक्ट्रिक/ अन्य प्रकार की भट्टियां.	2.5 %
11	9018 19 या 8904	पल्स ऑक्सीमीटर	2.5 %
12	9018	हाई फ्लो नेस्ल कैनूला डिवाइस	2.5 %
13	9019 20, 9804	ऑक्सीजन कंसंटेन्टर जनरेटर	2.5 %
14	9018 या 9019	वेंटिलेटर	2.5 %
15	9019	बाई पीएपी मशीन	2.5 %
16	9019	1. नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन नेस्ल या ओरोनेस्ल मास्क, आईसीयू वेंटिलेटर के लिए. 2. केनुला, वेंटिलेटर के साथ प्रयोग किए जाने के लिए.	2.5 %
17	9025	ताप मापक उपकरण	2.5 %
18	8702 या 8703	एंजुलेंसेस	6 %

2. यह अधिसूचना दिनांक 14 जून 2021 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी, तथा दिनांक 30 सितम्बर 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, लागू रहेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2021

क्रमांक एफ ए 3-13-2021-1-पांच (51) - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय का अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-13-2021-1-पांच (51), दिनांक 8 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 8th July 2021

No. F A3-13-2021-1-V (51) :- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereafter in this notification referred to as "the said Act"), the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts the goods specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2), of the Table below, from the so much of the state tax leviable thereon under Section 9 of the said Act, as in excess of the amount as specified in corresponding entry in column (4) of the aforesaid Table, namely: -

TABLE

SI. No.	Chapter, Heading, Sub-heading or Tariff item	Description of Goods	Rate
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2804	Medical Grade Oxygen	2.5 %
2	30	Tocilizumab	Nil

(1)	(2)	(3)	(4)
3	30	Amphotericin B	Nil
4	30	Remdesvir	2.5 %
5	30	Heparin (anti-coagulant)	2.5 %
6	3002 or 3822	Covid-19 testing kits	2.5 %
7	3002 or 3822	Inflammatory Diagnostic (marker) kits namely-IL6, D-Dimer, CRP (C-Reactive protein), LDH (Lactate De-Hydrogenase), Ferritin, Pro Calcitonin (PCT) and blood gas reagents.	2.5 %
8.	3804 94	Hand Sanitizer	2.5%
9.	6506 99 00	Helmets for use with non-invasive Ventilation.	2.5%
10.	8417 or 8514	Gas/Electric/other furnaces for crematorium.	2.5%
11.	9018 19 or 9804	Pulse Oximeter	2.5%
12.	9018	High flow nasal canula device	2.5%
13.	9019 20 or 9804	Oxygen Concentrator/generator	2.5%
14.	9018 or 9019	Ventilators	2.5%
15.	9019	BiPAP Machine	2.5%
16.	9019	(i) Non-invasive ventilation nasal or oronasal masks for ICU Ventilators. (ii) Canula for use with Ventilators	2.5%
17.	9025	Temperature check equipment	2.5%
18.	8702 or 8703	Ambulance	6%

2. This notification shall be deemed to come into force with effect from 14th June, 2021 and shall remain in force upto and inclusive of the 30th September 2021.

By order and in the name of Governor of Madhya Pradesh,
R.P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.